न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
18 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	22.04.2019	02.11.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री कन्हैयालाल शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चैनपुरिया तह. निवाई जिला टोंक मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी चंवरिया कॉम्पलेक्स / झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
2—मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी चंवरिया कॉम्पलेक्स / झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
3—श्री कृष्ण कुमार शर्मा निवासी ग्राम चैनपुरिया तह. निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स श्री कृष्णा एग्रो फूड प्रोडक्ट्स चंवरिया कॉम्पलेक्स / झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
4—मैसर्स श्री कृष्णा एग्रो फूड प्रोडक्ट्स चंवरिया कॉम्पलेक्स / झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
5—श्री जितेन्द्र सिंह निवासी बी—237, रोड नं. 6 डी, विश्वकर्मा जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं. 2, श्री राम नगर, रोड नं. 14, दिल्ली अजमेर बायपास, बदराना जयपुर राज.
6—मैसर्स लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं. 2, श्री राम नगर, रोड नं. 14, दिल्ली अजमेर बायपास, बदराना जयपुर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री दिनेश कुमार शर्मा उप.।

:—**निर्णय**—: **दिनांक 02.11.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.10.2018 को समय 01:30 पीएम पर मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी चंवरिया कॉम्पलेक्स, झिलाई रोड निवाई जिला टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री कन्हैयालाल शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री कन्हैयालाल शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ कागज के कार्टून

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

में प्रत्येक में 32–32 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500–500 एमएल पैक **वनस्पति (मधु श्री किचन स्पेशल लाईट फैट ब्राण्ड)** रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री कन्हैयालाल शर्मा को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री कन्हैयालाल शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **वनस्पति (मधु श्री किचन स्पेशल लाईट फैट ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 06 एवं पैकिंग की दिनांक जून 2018 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 एमएल के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **वनस्पति (मधु श्री किचन स्पेशल लाईट फैट ब्राण्ड)** 500–500 एमएल के 4 मूल पैक के एक–एक पैक वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1961 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1961 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री कन्हैयालाल शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्री कृष्णा एग्रो फूड प्रोडक्ट्स चंवरिया कॉम्पलेक्स, झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज. का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स श्री कृष्णा एग्रो फूड प्रोडक्ट्स से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं. 2, श्री राम नगर, रोड नं. 14, दिल्ली अजमेर बायपास, बदराना जयपुर राज. का बिल पेश किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/2966 दिनांक 19.11.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./1666/एक्ट/2018/352 दिनांक 05.11.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **वनस्पति (मधु श्री किचन स्पेशल लाईट फैट ब्राण्ड)**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर आवश्यक जानकारियां अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **वनस्पति (मधु श्री किचन स्पेशल लाईट फैट ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **वनस्पति (मधु श्री किचन स्पेशल लाईट फैट ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 02.11.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक